राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2013/347 दिनांक : 26/6/13

–:: संक्षिप्त विज्ञप्ति ::–

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यकम सत्र 2013–14 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

इस निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में सत्र 2013–14 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यकम में प्रवेश के लिए दिनांक 16.07.2013 (सांय 6 बजे) तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्ते निम्नानुसार है :–

क्र.स.	शैक्षणिक योग्यता	
1.	शैक्षणिक योग्यता	पुरानी स्कीम में प्रथम वर्ष टीडीसी अथवा नई (10+2) स्कीम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से फीजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी विषयों के साथ सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डो की इसके समकक्ष परीक्षा, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है) किसी जाति वर्ग में उक्त विषय वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर अन्य विषय वर्ग के उसी जाति वर्ग के प्रत्याशी प्रवेश के पात्र होंगे।
2.	आयु (01.10.2013 को)	दिनांक 01.10.2013 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरूषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं 34 वर्ष (महिलाओं हेतु) तिथी विवरण अर्थात् 2 अक्टूबर 1985 से पूर्व एवं 2 अक्टूबर 1996 के बाद जन्में सामान्य श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थी तथा सामान्य श्रेणी की 2 अक्टूबर 1979 से पूर्व एवं 2 अक्टूबर 1996 के बाद जन्मी महिलाएं आवेदन के लिए अपात्र होगी। विभागीय कोटे के अभ्यर्थियों मे नियमित कार्यरत प्रसाविकाओं (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) (संविदा/समेकित वेतन अवधि नियमित नही मानी जायेगी) हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष (अर्थात् 2 अक्टूबर 1973 से पूर्व जन्मी अपात्र होगी।) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
3.	सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या/ संस्थाओं की संख्या (परिवर्तनीय) है। राजकीय/ निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउन्सलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
4.	आरक्षण	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 12 प्रतिशत तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 21 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार देय है। अन्य पिछडा वर्ग में चयनित नही होने वाले विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछडा वर्ग में देय होगा। निःशक्तजन श्रेणी के लिये 3 प्रतिशत तथा विभागीय कर्मचारियों के लिये 10 प्रतिशत क्षैतिज आधार पर आरक्षण देय है। राजकीय जीएनएम स्कूल बांसवाडा की सभी सीटे जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों तथा बारां जिले की शाहबाद तथा किशनगंज तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिये निजी नर्सिंग स्कूल्स मे भी नियमानुसार आरक्षण देय होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किये प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो।

5.	महिला आरक्षण	महिला अभ्यर्थियों के लिये 80 प्रतिशत सीटे आरक्षित है। (आरक्षण की श्रेणीवार किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।)
6.	पाठ्यक्रम की अवधि	3 वर्ष एवं 6 माह, जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है।
7.	शिक्षण शुल्क	राजकीय प्रशिक्षण स्कूल 180 –/ रूपये वार्षिक। निजी प्रशिक्षण स्कूल 38000 –/ रूपये वार्षिक।
8.	चयन प्रकिया	राज्य स्तरीय मेरिट एवं (काउंसलिंग के समय) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर। कम्प्यूटराईज्ड काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी को राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश की स्थिति में 180 –/ रूपये का तथा निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश की स्थिति में 10,000 –/ रूपये का अग्रिम राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो "रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर" के नाम पर देय हो काउंसलिंग स्थल पर ही जमा कराना होगा, तत्पश्चात् ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी को आवंटन पत्र एवं जमा राशि की रसीद मौके पर ही देय होगी।
9.	आवेदन शुल्क	100/– (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 50 रूपये मात्र) शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पोस्टल आर्डर जो, **आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर** के नाम पर देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
10.	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट **www. rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध है। साथ ही विज्ञप्ति इस निदेशालय, समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों, समस्त राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों तथा समस्त रोजगार कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। आवेदन प्रपत्र की टंकित/हस्तलिखित प्रति आवेदन हेतु स्वीकार्य होगी।
11.	आवेदन पत्र किस पते पर	आवेदन पत्र अति. निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर के पते पर साधारण डाक /स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से अन्तिम दिनांक को सांय 6:00 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र बन्द लिफाफे में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, जयपुर के स्वागत कक्ष में रखे बन्द बक्से में भी अन्तिम दिनांक सांय 6:00 बजे तक डाले जा सकेंगे। लिफाफे पर (जी.एन.एम. प्रशिक्षण सत्र 2013–14 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र) आवश्यक रूप से लिखे।

अधिक जानकारी हेतु कृपया बिन्दु संख्या – 10 अनुसार विस्तृत विज्ञप्ति को देखें।

(कन्हैया लाल स्वामी)
अति. निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर